न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू, जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–57 / 2018

प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक :–13.07.2018

निर्णय दिनांकः– 03.06.2019

उनवान

1. तहसीलदार, पीपलू

प्रार्थी

बनाम

1. शांति पत्नी छीतरलाल जाति–गुर्जर निवासी–जाटापाड़ा संघपुरा पुरानी टोंक, जिला–टोंक
2. भोजराज पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी ग्राम–ढुण्ढ़िया, तह0–पीपलू
3. नानगराम पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी ग्राम–ढुण्ढ़िया, तह0–पीपलू
4. चतुर्भुज पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी ग्राम–ढुण्ढ़िया, तह0–पीपलू
5. रामनिवास पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी ग्राम–ढुण्ढ़िया, तह0–पीपलू

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत् शीट दुरूस्ती

कन्सोलिडेंट प्रा0पत्र संख्या–15 / 2019

प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक :–29.03.2019

निर्णय दिनांकः– 03.06.2019

उनवान

1. शांति पत्नी छीतरलाल जाति–गुर्जर निवासी–जाटापाड़ा संघपुरा पुरानी टोंक, जिला–टोंक

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, पीपल
2. भोजराज पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी ग्राम–ढुण्ढ़िया, तह0–पीपलू
3. नानगराम पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी ग्राम–ढुण्ढ़िया, तह0–पीपलू
4. चतुर्भुज पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी ग्राम–ढुण्ढ़िया, तह0–पीपलू
5. रामनिवास पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी ग्राम–ढुण्ढ़िया, तह0–पीपलू

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

अधिवक्ता प्रार्थीः– पैरोकार सरकार

अधिवक्ता अप्रार्थीगणः– श्री विवेक चौधरी

निर्णय दिनांकः–03.06.2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। उक्त उनवानी दोनो प्रा0 पत्रों में पक्षकार वादग्रस्त आराजी एवं अनुतोष समान होने से दोनों को कन्सोलिडेंट कर एक साथ उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। तहसीलदार पीपलू की और से प्रस्तुत प्रा0पत्र में कथन किया गया कि ग्राम बिलायतीपुरा के आराजी ख0न0 103/2 कुल रकबा 05 बीघा अप्रार्थी संख्या 01 शांति गुर्जर एवं आराजी खसरा न0 103/3 रकबा 04 बीघा अप्रार्थी संख्या 02 ता 05 के नाम अंकित हैं तथा खसरा न0 103/1 रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा भूमि सिवायचक सरकार हैं। प्रकरण संख्या 14/17 दिनांक 24.04.2017 उनवानी शांति देवी बनाम तहसीलदार में खसरा न0 103/2 रकबा 05 बीघा की पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये थे। जिसकी पालना में टीम गठित कर राजस्व कार्मिकों द्वारा दिनांक 04.07.2017 को पत्थरगढ़ी की गई थी। रिपोर्ट अनुसार नक्शा शीट एवं मौका जॉच अवलोकन करने पर एवं शीट में रकबा बरारी करने पर तरमीम शुदा न0 का रकबा 05 बीघा के स्थान पर 08 बीघा 10 बिस्वा बनता हैं। प्रकरण संख्या 15/17 दिनांक 24.04.2017 में उनवानी भोजाराम वगै0 बनाम तहसीलदार पीपलू में पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये गये थे। जिसकी पालना में दिनांक 10.06.17 को भू अभिलेख निरिक्षक गहलोद द्वारा पत्थरगढ़ी की रिपोर्ट में अंकित किया गया था कि खसरा न0 103/3 रकबा 04 बीघा की पश्चिमी मेंड़ माप में सही नहीं बैठती हैं। प्रकरण संख्या 01 उनवानी रोडू बनाम तहसीलदार में भू अभिलेख निरिक्षक गहलोद, सोहेला, नानेर एवं पटवारी हल्का गहलोद को निर्देशानुसार धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट में मौका जॉच भेजी गई। जिसकी रिपोर्ट संलग्न की हैं। जिसके अनुसार खसरा न0 103/2 व खसरा न0 103/3 का रकबा सही नहीं बैठने के कारण नक्शा शीट की तरमीम को दुरूस्त किये जाने का अनुतोष चाहा हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी उपस्थित। उन्होनें ने बताया कि इसी अनुतोष को लेकर अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से अन्य प्रा0पत्र शीट दुरूस्ती बाबत् पेश किया हुआ हैं। शीट में रकबा को कम ज्यादा लेकर दुरूस्ती हेतु पक्षकार सहमत हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

अतः दोनो प्रा0पत्र बाबत् शीट दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपलू को आदेश दिया जाता हैं कि खसरा न0 103/1, 103/2, 103/3 वाकै ग्राम बिलायतीपुरा तह0 पीपलू के खसरा नम्बरान् के जमाबन्दी में अंकित रकबा अनुसार नक्शा शीट को दुरूस्त कर संशोधित तरमीम की जावें। तहसीलदार पीपलू को तहरीर जारी हो। निर्णय की एक प्रति कन्सोलिडेंट वाद के साथ शामिल कि जावें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू